भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4571

दिनांक 23 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

सीपीएसयू में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पद

4571. सुश्री एस. जोतिमणि:
श्री गौरव गोगोई:
श्री एम. सेल्वराज:
श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:
डॉ. ए. चेल्लाकुमार:
श्री के. मुरलीधरन:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों का ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का पीएसयूएस के प्रस्तावित निजीकरण और विनिवेश, विशेषकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के विनिवेश से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में कमी आएगी और यदि हां, तो पदों में कमी की संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के विनिवेश के बाद सरकारी क्षेत्र के पीएसयू में, विशेषकर बीपीसीएल में आरक्षण जारी रखने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.03.2020 को संचालित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

कर्मचारियों की कुल संख्या (31.03.2020 तक)	**संचालित सीपीएसईज़ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (31.03.2020 तक)**					
	एससी (संख्या में)	%	एसटी (संख्या में)	%	ओबीसी (संख्या में)	%
9,19,648	1,60,384	17.44	99,693	10.84	1,98,581	21.59

(ख) से (घ): विनिवेश मामलों के लिए नोडल विभाग होने के नाते निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने बताया है कि आरक्षण नीति केवल सरकारी कंपनियों में ही लागू है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के कार्यनीतिक विनिवेश के बाद यह सरकारी कंपनी नहीं रहेगी।

*****